

गया है। पत्रावली में तहसीलदार जायल, डीडवाना व ग्राम पंचायत छोटी खाटू को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 7, 23 से 26, 31 से 39, 42 से 44, 47 से 50, 52, 53, 55, 56, 57 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 8, 9, 12, 13, 15, 21, 27 से 30, 16 से 19, 22, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 58, 59, 60 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश किया है जिसके अनुसार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वाद को दावा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 16, 22, 26 एवं 29 से 41 क्रमशः सायरी, अब्दुल रज्जाक, जन्नत, अब्दुल हुसैन, सलीम मोहम्मद, रफीक, सबीर, अयूब, अब्दुल रहमान, सकुर, अब्दुल रहीम, जमीर, अता मोहम्मद, अल्लानूर, गुलाम अब्दुल वाहिद के नाम उक्त भूमि में से कोई भूमि नहीं रखी गई है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधिन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी तहसीलदार जायल व डीडवाना के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### — : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मौहम्मद हुसैन के बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 23.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादीगण संख्या 1 व 2 मौहम्मद हुसैन व बिलालदीन के शामलाति बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटुबड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 52.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. वादी संख्या 3 मंगतूदीन फौत के वारिसान 3/1 से 3/6 क्रमाशः मकबूल, उनरदीन, ईस्माईल, मो. हुसैन, मदीना बानो, रूकसाना के शामलाति बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 13 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. वादी संख्या 4 गुलाबनबी के बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 13.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
5. वादी संख्या 5 रुसतम बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 15.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
6. वादी संख्या 7 अब्दुल सतार के बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 10.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
7. वादी संख्या 8 कमालदीन बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 8.01 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार तथा खसरा नम्बर 103 रकबा 8.19 बीघा में से 1.19 बीघा माफिक नजरी नकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।

6/11  
सहायक कलक्टर  
(एस.टी.ओ.) जायल

8. वादी संख्या 9 बाबूअली बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 20.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
9. प्रतिवादी संख्या 1 जमीर अहमद के बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 13.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
10. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 असलम, कासम, रोशनी के शामलाती बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 13.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सह खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
11. प्रतिवादी संख्या 5 अब्दुल के बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 25.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
12. प्रतिवादी संख्या 6 से 10 जुलफकार, जमील, गुलाम मोहम्मद, ईकलाल, बाना के शामलाती बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु खुर्द का खेत खसरा नम्बर 1209 रकबा 15.13 बीघा में से 7.16 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
13. प्रतिवादी संख्या 10 बाना बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु खुर्द का खेत खसरा नम्बर 1249 रकबा 6.10 बीघा पूरा व खसरा नम्बर 1251 रकबा 21.05 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
14. वादी संख्या 6 युसूफ व प्रतिवादी संख्या 12 से 15 सलीम, ईब्राहिम, फारूक, वहीदन के शामलाती बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 15.00 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
15. प्रतिवादी संख्या 17 से 20 ईदमोहमद, हसन मोहम्मद, अकबर, आसिया के शामलाति बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु खुर्द का खेत खसरा नम्बर 1247 रकबा 20.10 बीघा में से 10.05 बीघा पूर्वी भाग माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
16. प्रतिवादी संख्या 21 उमरदीन के बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु खुर्द का खेत खसरा नम्बर 1209 रकबा 15.13 बीघा में से 7.14 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार, व खसरा नम्बर 1248 रकबा 7.02 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
17. प्रतिवादी संख्या 23 से 25 शरीफ मोहम्मद, हनीफ अहमद, अयूब, जन्नत बैवा दीन मोहम्मद के शामलाती बंट कब्जे काश्त में मौजा फिरोजपुरा का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 119.00 बीघा में से 2.19 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार व खसरा नम्बर 103 रकबा 8.19 बीघा में से 7.00 बीघा माफिक नजरी नकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
18. प्रतिवादी संख्या 42 से 60 आवीद हुसैन, मुनीर अली, मोहम्मद फारूख, अब्दुल अजीज, शहाबुदीन, लुकमान, आरिफ, अली, अकरम अली, असलम अली, बाना बेगम, जहूर मोहम्मद, मुस्ताक, अमीन, रफीक, रसीद, मजीद, जमीर, नसीर, याकूब के शामलाती बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 484 रकबा 172.06 बीघा में से 58.06 बीघा माफिक नजरीनकशानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।

19. प्रतिवादी संख्या 27 व 28 अल्लाबक्स, हकीम के शामलाति बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु बड़ी का खेत खसरा नम्बर 481 रकबा 172.06 बीघा में से 10.00 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर सहातेदारी की घोषणा कि जाती है।
20. प्रतिवादी संख्या 11 जब्बार के बंट कब्जे काश्त में मौजा खाटु खुर्द का खेत खसरा नम्बर 1247 रकबा 20.10 बीघा में से 10.05 बीघा पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शा अनुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
21. प्रतिवादी संख्या 63 ग्राम पंचायत छोटी खाटू के खसरा नम्बर 1209 रकबा 15.13 बीघा में से 0.03 बीघा पश्चिमि दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
22. प्रतिवादीगण संख्या 16, 22, 26 एवं 29 से 41 क्रमशः सायरी, अब्दुल रज्जाक, जन्नत, अब्दुल हुसेन, सलीम मोहम्मद, रफीक, सबीर, अयूब, अब्दुल रहमान, सकुर, अब्दुल रहीम, जमीर, अता मोहम्मद, अल्लानूर, गुलाम अब्दुल वाहिद के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्युटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।



(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/12/2014 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल